डीजी–परिपत्र संख्या-06/2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
पुलिस मुख्यालय, टावर–2,
दिनांकः लखनऊः फरवरी02,2024

प्रिय महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। शासन स्तर पर हुई समीक्षा से महिला सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण असंतोष व्यक्त किया गया है। आप सभी को महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये हैं।

वर्तमान में महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृति करने के उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट आदि जैसी सफल योजनाएं प्रचलित है। महिलाओं के विरूद्व घटित होने वाले अपराधो के पंजीयन से लेकर विवेचना समाप्ति तक पर्याप्त संवेदनशीलता तथा महिला अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैः–

- महिला सम्बन्धी अपराधों पर नियंत्रण रखने तथा प्रभावी कार्यवाही के दृष्टिगत सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी घटना घटित होने पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का तत्परता से निरीक्षण किया जाए और विधिनुकूल कार्यवाही करायी जाए।
- यह भी दृष्टांत आया है कि महिला पुलिस कर्मियों से कार्यालय एवं पहरा डियूटी आदि का कार्य लिया जा रहा है, जबकि वस्तुतः महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला अपराध पर नियंत्रण के लिए इनका फील्ड/बीट डियूटी का कार्य है। अतः इनसे आफिस व पहरा आदि लेने के बजाय फील्ड/बीट डियूटी ली जाए, जिससे किसी भी महिला उत्पीड़न के अपराध में पीड़ित महिला अपने साथ हुई घटना को निःसंकोच महिला पुलिस कर्मी से बता सके और उसमें सुरक्षा की भावना बनी रहे।
- बीट/थानास्तर पर महिला सम्बन्धी अपराध में पीड़िता की शिकायत पर तत्काल विधिक कार्यवाही की जाए तथा पीड़िता का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न न हो।
- महिला सम्बन्धी अपराधों में गुणवत्तापरक विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर तत्परता से आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाए।

अतः आप उपरोक्त बिन्दुओं का स्वयं गम्भीरता से ध्यान देकर एक कार्यशाला के माध्यम से जनपद में नियुक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करा दें, तथा इस सम्बन्ध में सतर्क कर दें कि वे अपने दायित्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही/उदासीनता न बरतें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

भवदीय

2.2.24

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(रेलवेज), उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।